Bihar Education Project

Mahadewa, (Near O.P. Thana) Siwan – 841 227



बिहार शिक्षा परियोजना महादेवा, (ओ०पी० थाना के निकट) सीवान — 841 227

दिनांक : .. 21-08: 2018

पत्रांक : ...1.8.3.....

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

सीटी फोर्ड स्कुल साम - कुरुबद्धपरा पोठ बान्यांण , हुसेन्ग्रेण फिला, स्मिन

विषयः— बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण—पत्र।

महाशय / महाशया,

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:-

- 1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- 2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक—1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक—2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- 3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन आने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किय जाएगा।
- 4. कंडिका 3 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- 5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- 6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अविध के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
- 7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:-
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं
- iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- vi. सभी नियमानुकल नियोजित शिक्षकों के लिए मार्च 2019 तक प्रशिक्षक्षण प्राप्त करना अनिर्वाय होगा।
- vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्य का निर्वहन करेंगे।



Bihar Education Project

Mahadewa, (Near O.P. Thana) Siwan - 841 227



बिहार शिक्षा परियोजना

महादेवा, (ओ०पी० थाना के निकट) सीवान - 841 227

· ·		
दिनांक	•	
14,114	-	

पत्रांक:

शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। viii.

- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठयचर्या का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन 9.
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम 10. निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:-विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल: कुल निर्मित क्षेत्र; 🔔 😢 🕊 🕻 कमरों की कुल सं0;

खेल के मैदान का क्षेत्र; 12 52.61' प्रधानाध्यापक—सह–कार्यालय—सह–भंडार कक्ष;०....

पेयजल की सुविधा; अगर्ग जान हैर्पण मध्याह भोजन के लिए रसोई-घर;

शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल–कुद उपकरण / पुस्तकालय;

- कोई भी अधिगम अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा। 11.
- विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा। 12.
- विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी 13 निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अय व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा। 14.
- लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के 15. आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष अधीक्षक को भेजी जाएगी।
- आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या RTE/SNN/2018-19/06232 हैं। इस कार्यालय से किसी प्रकार 16. का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।
- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए 17. प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराइ जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतू समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकात हैं तो सनिश्चित किया जाए। 18.
- अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते। 19.

(समर बहादुर सिंह) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सीवान।

